POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 07.04.2026

1. थाना दनकौर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा मय 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस .315 बोर व 01 मोटरसाइकिल बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 06.04.2026 को थाना दनकौर पर डायल-112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कासिम पुत्र नियाज मौहम्मद निवासी ग्राम अट्टा फतेहपुर थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर उम्र लगभग 48 वर्ष को खेत पर कार्य करते समय गाँव के ही व्यक्ति/ अभियुक्त कायदे आजम द्वारा पीड़ित के साथ गाली-गलौज करते हुए अपने पास मौजूद देशी तमंचे से उस पर गोली चला दी तथा मौके से फरार हो गया। पीड़ित को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो कि उपचाराधीन है।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-- थाना दनकौर पुलिस द्वारा प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था। दिनांक **07.04.2026** को खजूर वाले बाबा अंडरपास के समीप सर्विस रोड पर अभियुक्त कायदे आजम की तलाश के दौरान पुलिस टीम को एक व्यक्ति संदिग्ध आता हुआ दिखाई दिया तो पुलिस टीम द्वारा उसे रुकने का इशारा किया गया, जिस पर उसने भागने का प्रयास करते हुए पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में उक्त व्यक्ति(बदमाश) गोली लगने से घायल हो गया जिसकी पहचान कायदे आजम पुत्र शमसेर निवासी ग्राम ग्राम अट्टा फतेहपुर, थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर, उम्र लगभग 23 वर्ष के रूप में हुई है। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा मय 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस .315 बोर व 01 मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की बरामद की गई है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण--

कायदे आजम पुत्र शमसेर निवासी ग्राम ग्राम अट्टा फतेहपुर, थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर, उम्र लगभग 23 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0- 80/2026 धारा109,351(3) बीएनएस, थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 01 तमंचा मय 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस
2. 01 मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट

2. थाना साइबर क्राइम नोएडा द्वारा टेक सर्पोट के नाम पर हेंकिंग व डाटा चोरी का भय दिखाकर विदेशी नागरिको के साथ साइबर धोखाधडी करने वाले 04 साइबर अपराधी गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- थाना साइबर क्राइम नोएडा द्वारा संकलित तकनीकी सूचना एवं लोकल इन्टेलिजेन्स के आधार पर Tech Support के नाम पर हेंकिंग व डाटा चोरी का भय दिखाकर विदेशी नागरिको के साथ साइबर धोखाधडी करने वाले 04 साइबर अपराधियो को दिनांक 07.04.2026 को सेक्टर 76 नोएडा से गिरफ्तार किया गया। जिनके द्वारा अभी तक विदेशी नागरिको से करोडो रुपये की धोखाधडी की जा चुकी है। अभियुक्तगण के कब्जे से भारी मात्रा मे लैपटॉप व मोबाइल फोन आदि बरामद किये गये है।

अभियुक्त से पूछताछ व घटना का विवरण-- अभियुक्तगण द्वारा Tech Support के नाम पर इंटरनेट एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर paid विज्ञापन चलाकर विदेशी नागरिकों को कॉल करने हेतु टोल-फ्री नंबर प्रदर्शित किया जाता था। जैसे ही विज्ञापन विदेशी नागरिको द्वारा देखे जाते थे तो वे विज्ञापन पर अभियुक्तगण द्वारा प्रदर्शित कराये गये नम्बरो पर कॉल करते थे, तो कॉल अभियुक्तगण के लैपटॉप पर कॉलिंग इन्सटॉल साफ्टवेयर पर रिसीव होती थी, इस साफ्टवेयर पर टोल फ्री नम्बर इन्सटॉल्ड थे। कॉल प्राप्त होने पर ये लोग स्वयं को टेक्निकल सपोर्ट एजेंट बताकर विदेशी नागरिको को यह विश्वास दिलाते थे कि उनका कंप्यूटर/डिवाइस हैक हो गया है। तत्पश्चात स्क्रीन शेयरिंग एप के माध्यम से उनकी स्क्रीन एक्सेस कर बैंकिंग जानकारी प्राप्त कर लेते थे तथा वास्तविक हैंकिंग का भय दिखाने के लिए कम्प्यूटर स्क्रीन को ब्लैक कर देते थे जिससे विदेशी नागरिक भयभीत हो जाता था, इसके पश्चात उसकी बैंकिंग क्रेडेन्शियल का प्रयोग करते हुए यह पता करते थे कि विदेशी नागरिक के खाते मे कितनी रकम है। यदि खाते मे कम धन होता था तो 350 से 2000 यूएसडी तक की धनराशि वसूलते थे, और यदि धन अधिक होता था तो अभियुक्तगण केस को सिनियर के पास ट्रान्सफर कर देते थे, ये सिनियर कॉलिंग साफ्टवेयर पर ही जुडे होते थे इस प्रकार धोखाधडी से प्राप्त की गयी धनराशी को क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से प्राप्त कर आपस में बांट लेते थे। अब तक की पूछताछ व अभियुक्तगण से बरामद मोबाइल फोन व लैपटॉप से धोखाधडी से सम्बंधित करोडो रुपये के लेनदेने के प्रमाण प्राप्त हुए है।

नोटः- अभियुक्तगण उच्च शिक्षित है तथा विदेशी एक्सेन्ट मे नागरिको से बात कर जल्द अपने जाल मे फंसा लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण--

1. मौ0 बिलाल पुत्र जाकिर हुसैन, निवासी आदर्श नगर थाना महेन्द्रापार्क दिल्ली उम्र 26 वर्ष।

2. देव कपाही पुत्र स्वर्गीय श्री राजकुमार कपाही, निवासी आदर्श नगर नगर, दिल्ली उम्र 25 वर्ष

3. अभिषेक मुखेजा पुत्र प्रदीप मुखेजा, निवासी सिटी भिवाड़ी जिला अल्वर तिजारा राजस्थान उम्र 27 वर्ष

4. कुशाग्र निम्बेकर पुत्र देवेन्द्र निम्बेकर, निवासी काटजूमार्ग रोहिणी दिल्ली उम्र 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण--

1. 04 लैपटॉप

2. 08 मोबाइल फोन

3. माइक हैडफोन- 04

4. राउटर - 2

साइबर जागरूकता संदेश--

1- साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन: 1930 या वेबसाइट: National Cyber Crime Reporting Portal पर शिकायत दर्ज कराये।

2- किसी भी कंपनी के नाम पर आए कॉल/विज्ञापन पर तुरंत भरोसा न करें।

3- टोल-फ्री नंबर की सत्यता जांचें व केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही कस्टमर केयर नंबर लें।

4- स्क्रीन शेयरिंग से बचें तथा किसी अज्ञात व्यक्ति को एप आदि के माध्यम से अपने सिस्टम को रिमोट एक्सेस न दें।

5- बैंकिंग जानकारी साझा न करें तथा OTP, पासवर्ड, कार्ड डिटेल्स किसी के साथ साझा न करें।

6- डराने वाले मैसेज से सतर्क रहें – “आपका सिस्टम हैक हो गया है” जैसे संदेश अक्सर धोखाधड़ी का हिस्सा होते हैं।

3. थाना रबूपुरा पुलिस व गौ तस्कर/25 हजार रूपये के इनामी के बीच हुयी पुलिस मुठभेड के सम्बन्ध में-

विवरण-- दिनांक 07.04.2026 को थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा कार्गो टी पाइन्ट पर संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान सामने से एक मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति आता दिखाई दिया जिसको रोकने का प्रयास किया गया लेकिन वह नहीं रूका बल्कि मोटर साइकिल मोडकर भागने का प्रयास करने लगा। शक होने पर पुलिस पार्टी द्वारा उक्त मोटर साइकिल सवार का पीछा किया गया। अपने आप को घिरता देख मोटरसाइकिल सवार द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त गोली लगने से घायल हो गया। जिसकी पहचान संजू पुत्र रुक्का उर्फ लुक्का निवासी शेखपुर थाना चांदहट जिला पलवल हरियाणा उम्र 32 वर्ष के रूप में हुयी है। घायल अभियुक्त को तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस (नाल में फंसा हुआ) एवं 01 जिन्दा कारतूस तथा एक चोरी की मो0सा0 बिना नंबर प्लेट बरामद की गयी हैं। अभियुक्त से गहन पूछताछ करने के उपरान्त ज्ञात हुआ कि अभियुक्त संजू उपरोक्त थाना रबूपुरा पर पंजीकृत 1. मु0अ0सं0 39/2026 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम 2. मु0अ0सं0 35/2026 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट 3. मु0अ0सं0 14/2026 धारा 305(ा), 331(4),317 (5),303(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट में वांछित है ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास--

1.मु0अ0सं0 39/2026 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर

2.मु0अ0सं0 35/2026 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर

3.मु0अ0सं0 14/2026 धारा 305(ा), 331(4),317 (5),303(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर

4.मु0अ0सं0 423/2025 धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, धारा 13(2),5 हरियाणा गौवंश संरक्षण अधिनियम थाना कैम्प हरियाणा

5.मु0अ0सं0 965/24 धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, 3(5) बी.एन.एस. धारा 13(2) हरियाणा गौवंश संरक्षण अधिनियम थाना सैक्टर 58 फरीदाबाद हरियाणा